

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/1192

दिनांक 30/11/19

-:आदेश:-:

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री पूनमचन्द सैन	सहायक राजस्व निरक्षक	आदेशो की प्रतिक्षा में निदेशालय	लाडनू
2	श्री महिपालसिंह	सफाई निरीक्षक II	भीनमाल	शिवगज
3	श्री प्रमोद जैन	कनिष्ठ लिपिक	वैर	डीग
4	श्री विष्णु हाडा	कनिष्ठ लिपिक	डीग	आदेशो की प्रतिक्षा में निदेशालय
5	श्री महेन्द्र सिंह	कनिष्ठ लिपिक	डीग	आदेशो की प्रतिक्षा में निदेशालय
6	श्री वीरेन्द्र सिंह	कार्यालय सहायक	डीग	आदेशो की प्रतिक्षा में निदेशालय

विभागीय आदेश क्रमांक प.1ग()का/एस.एम.ई/डीएलबी/19/890-911 दिनांक 23.01.2019 के क्रम संख्या 04 पर अंकित श्री संजय कुमार कनिष्ठ लिपिक का लाडनू से सुजानगढ़, प.1ग()का/एस.एम.ई/डीएलबी/19/933-998 दिनांक 23.01.2019 के क्रम संख्या 07 पर अंकित श्री नन्दकिशोर चौधरी, कनिष्ठ लिपिक व क्रम संख्या 8 पर अंकित श्री कैलाश/ किशतूराम, सफाई कर्मचारी का नगर पालिका लाडनू से डीडवाना किया गया स्थानान्तरण आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। यह अपनी उपस्थिति यथावत संबंधित निकाय में देवे।

श्री बादलसिंह मेडतिया, कनिष्ठ लिपिक का नगर परिषद पाली से कुशलगढ़ (बांसवाडा) में किये गये निरस्तीकरण आदेश क्रमांक 1015 दिनांक 25.01.2019 का तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री मेडतिया अपनी उपस्थिति नगर पालिका कुशलगढ़ (बांसवाडा) में देवे।

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावे।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग)()का/एसएमई/डीएलबी/19/1193-1228

दिनांक : 30/1/19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. अध्यक्ष/ अधिशाषी अधिकारी/नगर परिषद/पालिक/भीनमाल/वैर/शिवगंज/
डीग/लाडनू/डीडवाना/कुशलगढ/पाली।
6. संबंधित कर्मचारी श्री.....
7. सुरक्षित पत्रावली।



(डॉ वीरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)